



राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर



राजस्थान आवासन मण्डल की 236वीं बैठक दिनांक 12.09.2018 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मण्डल मुख्यालय स्थित बोर्ड कक्ष, जयपुर में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

- | | | |
|----------------------------|--|------------|
| 1. श्री श्रीचन्द्र कृपलानी | अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल | अध्यक्ष |
| 2. श्री पवन कुमार गोयल | अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार | सदस्य |
| 3. श्री प्रीतम बी. यशवन्त | आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल | सदस्य |
| 4. श्रीमती इन्दिरा | मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार | सदस्य |
| 5. श्री आशीष कुमार शर्मा | सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल | मण्डल-सचिव |

बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. श्री के.सी. मीणा | मुख्य अभियन्ता-प्रथम |
| 2. श्री जी.एस. बाघेला | मुख्य अभियन्ता-द्वितीय |
| 3. श्रीमती रेखा भास्कर | वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी |
| 4. श्री अनिल कुमार कौशिक | मुख्य सम्पदा प्रबन्धक |

-:: कार्यवाही विवरण ::-

विचार बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
236.1	दिनांक 08.02.2018 को सम्पन्न हुई मण्डल की 235वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 08.02.2018 को सम्पन्न हुई मण्डल की 235वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
236.2	दिनांक 08.02.2018 को सम्पन्न हुई मण्डल की 235वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	दिनांक 08.02.2018 को सम्पन्न हुई मण्डल की 235वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकन किया गया।	Secretary
236.3	अवयस्क अवस्था में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण में वयस्क होने की अवधि तक शिथिलता प्रदान करने बाबत। (स्व. श्री गोधन सिंह, हैल्पर)	प्रस्तावानुसार अवयस्क अवस्था में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रकरण में वयस्क होने की अवधि तक शिथिलता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary

(Handwritten Signature)

236.4	हैल्पर से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति नियमों में शिथिलता प्रदान कर एकबारगी शिथिलता (One time Relaxation) देते हुये पदोन्नति का लाभ दिये जाने बाबत्।	प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।	Secretary
236.5	मानसरोवर योजना, जयपुर में विक्रमादित्य मार्ग पर स्ववित्त पोषित योजना वर्ष 2014 के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "ब" (बी+एस+12) के 93 प्लैट्स, ब्लॉक-बी का निर्माण कार्य मण्डल स्तर पर करवाने हेतु राज्य सरकार से पुनः विचार हेतु निवेदन करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार मानसरोवर योजना, जयपुर में विक्रमादित्य मार्ग पर स्ववित्त पोषित योजना वर्ष 2014 के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग "ब" (बी+एस+12) के 93 प्लैट्स, ब्लॉक-बी का निर्माण कार्य मण्डल स्तर पर करवाने हेतु राज्य सरकार से पुनः विचार हेतु निवेदन करने का निर्णय लिया गया।	CE-I
236.6	आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2018-19 के लिये स्थिर रखने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2018-19 के लिये स्थिर रखने का निर्णय लिया गया।	FA
236.7	वित्तीय वर्ष 2017-18 (कर निर्धारण वर्ष 2018-19) के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की नियुक्ति हेतु मण्डल से स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 (कर निर्धारण वर्ष 2018-19) के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
236.8	नीलामी प्रक्रिया में वर्णित समयावृद्धि की शर्तों में संशोधन बाबत्।	प्रस्तावानुसार नीलामी प्रक्रिया में वर्णित समयावृद्धि की शर्तों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
236.9	युद्ध में शहीद के आश्रितों को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मध्यम आय वर्ग-ब श्रेणी के आवास आवंटन में लीज मनी लिये जाने के संबंध में।	युद्ध में शहीद के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा आवास का आवंटन निशुल्क किया जाता है। अतः राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शहीद के आश्रितों को आवंटित आवास की लीजमनी राशि नहीं लिये जाने (लीजमुक्ति) का निर्णय लिया गया।	CEM
236.10	मण्डल की योजनाओं में जातिगत संस्थाओं को मुख्यतः शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिये भूमि का आवंटन बाबत्।	प्रस्तावानुसार राज्य सरकार की नई आवंटन नीति 2015 के अनुरूप मण्डल में भूमि आवंटन प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया। अतः एकरूपता के मध्यनजर मण्डल अपने स्तर पर संशोधन नहीं करेगा।	CEM
236.11	मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित प्लिन्थ स्तर/ संस्थानिक/ व्यवसायिक/नीलामी से निस्तारित भू-खण्डों एवं आवासों के आवंटन पश्चात निर्माण कार्य नहीं करने के संबंध में।	विस्तृत विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।	CEM

[Handwritten Signature]


236.12	ग्राम सूथला, चौपासनी योजना व ग्राम जोधपुर में लगभग 143-03 बीघा भूमि के संबंध में संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नविवि के बैठक के कार्यवाही विवरण क्रमांक प.7(94)नविवि/3/2013 दिनांक 30.04.2018 के क्रम में नकद मुआवजा राशि के बदले 25 प्रतिशत विकसित भू-खण्ड आपसी समझौते के आधार पर दिये जाने बाबत प्रकरण मण्डल की बोर्ड बैठक में रखा जाकर निर्णय लिये जाने के संबंध में।	प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रकरणान्तर्गत तथ्यों का पूर्ण परीक्षण कर विधिक परिपेक्ष्य के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने योग्य प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सचिव के संयोजन में मुख्य संपदा प्रबन्धक, निदेशक (विधि), वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं संबंधित उप आवासन आयुक्त की एक समिति का गठन किया जाता है। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर निर्णय हेतु प्रस्ताव आगामी संचालक मंडल की बैठक के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
236.13	ग्राम देवाली, गोवर्धन विलास में अवाप्त की जाने वाली 21.75 है० भूमि पर अधिकांशतः निर्माण कार्य व 90-बी होने के कारण अवाप्ति से मुक्त करने बाबत।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रकरण की एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। प्रकरण में संबंधित नगर विकास न्यास से काबिज एवं रिक्त भूमि के संबंध में रिपोर्ट लिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्तावान्तर्गत प्रासंगिक भूमि के संबंध में नगर विकास न्यास की राय प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।	Secretary
236.14	ग्राम सैंती, जिला-चित्तौड़गढ़ में अवाप्ताधीन 20.21 है० भूमि के प्रस्ताव को निरस्त करने बाबत।	ग्राम सैंती, जिला-चित्तौड़गढ़ में अवाप्ताधीन 20.21 है० भूमि को गहन चर्चा उपरान्त प्रकरण में धारा 27 की अवधि नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
236.15	ग्राम मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला-उदयपुर में अवाप्ताधीन भूमि की वर्तमान वस्तुस्थिति अनुसार भूमि को अवाप्ति में रखना है अथवा नहीं, के क्रम में निर्णयार्थ प्रस्ताव।	ग्राम मनवाखेडा, तहसील गिर्वा, जिला-उदयपुर में अवाप्ताधीन भूमि को गहन चर्चा उपरान्त अवाप्ति में नहीं रखने का निर्णय लिया गया तथा सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
236.16	मण्डल को राज्य सरकार के उप निवेशन विभाग द्वारा ग्राम चकगर्बी, मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर में आवंटित भूमि में से खसरा नम्बर 760, 761 व 763 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा नंबर 768 रकबा 8 बीघा 05 बिस्वा भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने के संबंध में।	चर्चा उपरान्त प्रकरण में खसरा संख्या 760, 761 व 763 में न्यायिक निर्णय अनुरूप/काश्तकारों से 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का विकल्प मांगा जाये, विकल्प पर सहमति अथवा असहमति होने की दशा में आगामी कार्यवाही नियमानुसार संपादित की जाये। तदनुसार आगामी कार्यवाही की जाये तथा खसरा संख्या 768 रकबा 8.05 बिस्वा हेतु सचिव के संयोजन में मुख्य संपदा प्रबन्धक, निदेशक (विधि), वरिष्ठ विधि अधिकारी एवं संबंधित उप आवासन आयुक्त की एक समिति का गठन किया जाता है। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर निर्णय हेतु प्रस्ताव आगामी संचालक मंडल की बैठक के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया।	Secretary

21/2/2018

236.17	ग्राम डूंगरपुर, जिला-डूंगरपुर के वाद संख्या 6/88/12, खसरा नम्बर 972, रकबा 3-14 बीघा भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने एवं मण्डल द्वारा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि को काम में लिये जाने के कारण इसके बदले इसी योजना में रिक्त पडी भूमि में से भूमि आवंटन करने के संबंध में तथा निर्णयोपरान्त राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु भिजवाये जाने बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	Secretary
236.18	मण्डल में कनिष्ठ सहायक से कनिष्ठ लेखाकार बनाये जाने हेतु प्रक्रिया पुनः शुरु करने तथा एतदसंबंधी नियमों को मण्डल नियमों में समाविष्ट करने की अनुमति बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमति इस शर्त के साथ दी गई कि पदोन्नत कनिष्ठ लेखाकारों का पदस्थापन प्रथमतः 5 वर्ष तक जयपुर संभाग/गृह जिले में नहीं होगा।	Secretary
236.19	श्री राकेश व्यास पुत्र श्री विष्णु दत्त व्यास, खण्ड-बीकानेर एवं श्री सुनील व्यास पुत्र स्व. श्री मुरलीधर व्यास, कनिष्ठ सहायकों को चयनित वेतनमान देने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार श्री राकेश व्यास पुत्र श्री विष्णु दत्त व्यास, खण्ड-बीकानेर एवं श्री सुनील व्यास पुत्र स्व. श्री मुरलीधर व्यास, कनिष्ठ सहायकों को चयनित वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	Secretary
236.20	पानेरियों की मादडी आवासीय योजना, उदयपुर के माननीय विधायकों को आवंटित 02 आवासों की नवीन लागत निर्धारण कर निस्तारित करने की प्रशासनिक स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार पानेरियों की मादडी आवासीय योजना में मुख्यमन्त्री बजट घोषणा अनुसार उदयपुर के माननीय विधायकों को आवंटित 02 आवासों की नवीन लागत (वर्तमान दर) पर निर्धारण कर निस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
236.21	प्रताप नगर योजना, जयपुर स्थित मेवाड अपार्टमेन्ट परिसर में निर्मित सामुदायिक केन्द्र एवं 04 दुकानों को संचालन हेतु मेवाड अपार्टमेन्ट रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।	प्रताप नगर योजना, जयपुर स्थित मेवाड अपार्टमेन्ट परिसर में निर्मित सामुदायिक केन्द्र एवं 04 दुकानों को संचालन हेतु मेवाड अपार्टमेन्ट रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी को हस्तान्तरित करने की प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
236.22	राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना पवनपुरी के सेक्टर-5, 6 एवं 7 तथा मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर सेक्टर-1 से 17 के रखरखाव हेतु नगर निगम, बीकानेर को हस्तांतरण के लिये राशि रुपये 1276.61 लाख की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-II (ACE-II)
236.23	इन्दिरा गांधी नगर विस्तार योजना, जयपुर के सेक्टर नम्बर 1, 2, 3 में खातेदारों को दिये जाने वाले विकसित आवासीय एवं व्यवसायिक भू-खण्डों के बाह्य विद्युतीकरण के कार्य हेतु राशि रुपये 1527.50 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।	CE-I (ACE-I)

236.24	श्री बृजराज मीणा (पूर्व विधायक) को आवंटित आवास संख्या 6-ए-7, रंगबाडी योजना, कोटा को पुनर्जीवित किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार श्री बृजराज मीणा (पूर्व विधायक) को आवंटित आवास संख्या 6-ए-7, रंगबाडी योजना, कोटा को वर्तमान दर पर आवंटन/कब्जा दिये जाने का निर्णय लिया गया।	CEM (DHC-Kota)
236.25	जयपुर की मानसरोवर की आवासीय योजना में निर्मित झूलेलाल मार्केट की 402 दुकानों के निस्तारण बाबत समिति का प्रतिवेदन संचालक मण्डल के अनुमोदनार्थ।	समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अंकित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया जाकर समिति की अनुशंषानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।	CE-I
236.26	कोटा वृत्त के अधीन पूर्ण निर्मित अनिस्तारित आवासों के नीलामी द्वारा निस्तारण बाबत समिति का प्रतिवेदन संचालक मण्डल के अनुमोदनार्थ।	प्रस्ताव आस्थगित रखा गया। एतदसंबंधी सम्पूर्ण राजस्थान के प्रस्ताव आगामी संचालक मंडल की बैठक में रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	FA

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


(आशीष कुमार शर्मा)
सचिव